पत्रांक विधि- 4(1)सा0पत्रा0/2016-2017 / 1055 /161025 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 20 जुलाई, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक),
समस्त डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर
एवं वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यदि यह पाया जाता है कि व्यापारी द्वारा वास्तविक देयता से अधिक धनराशि जमा की गयी है तो ऐसी अधिक जमा धनराशि के वापसी के आदेश पारित किये जाते हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री मफतलाल इण्डस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डियॉ(1996) के वाद में दिये गये न्यायिक निर्णय में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर के भार को अन्य व्यक्ति पर अन्तरित कर देता है तो उस व्यक्ति को उस कर की वापसी अनुचित लाभ (unjust enrichment) मानी जाएगी, किन्तु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वापसी के आदेश करते समय इस बिन्दु पर कोई जांच नहीं की जाती अथवा यदि जांच की भी जाती है तो उसका उल्लेख करनिर्धारण आदेश में नहीं किया जाता है। यह स्थिति उचित नहीं है ।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन मामलों में व्यापारी द्वारा वास्तविक देयता से अधिक धनराशि जमा की गयी है एवं उसकी वापसी का आदेश पारित किया जा रहा है, ऐसे समस्त मामलों में इस बिन्दु पर सुसंगत अभिलेखों से जांच कर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि व्यापारी द्वारा अधिक जमा कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर तो अन्तरित नहीं किया गया है । इस आशय का उल्लेख कर निर्धारण आदेश में भी करते हुए नियमानुसार वापसी के आदेश पारित किये जायें ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

20/07/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
लखनऊ,उत्तर प्रदेश ।